# भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

# भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

**Ph.D., D.Lit. (Sub.)**

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

**छवि पब्लिकेशन्स**

अजमेर-305001

प्रकाशक :
छवि पब्लिकेशन्स
अजमेर-305001
मो. 9660111549

संस्करण :
प्रथम 2024

*ISBN* : 978 - 81 - 89435 - 66 - 0

मूल्य - 300/-

रचना - भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

# वेदों में नारी शिक्षा

**अनिता मालिया**
**सहायक आचार्य ( शिक्षा विभाग )**
**हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर**

वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अनेक अधिकार प्राप्त थे, जिनमें से एक प्रमुख अधिकार शिक्षा का था। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को उच्च ज्ञान, जिसे 'ब्रह्मज्ञान' कहा जाता था, ग्रहण करने की अनुमति थी। वेदों में 'सरस्वती देवी' का उल्लेख यह दर्शाता है कि उस समय शिक्षा में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और सम्मानित थी।

वेदों में अनेक ब्रह्मवादिनी नारियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने धार्मिक, दाशर्ज़निक और वैज्ञानिक ज्ञान में पुरुषों के समान दक्षता प्राप्त की। अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेदों के अनुसार महिलाएं दर्शन, व्याकरण के साथ-साथ सैनिक और राजनीति शिक्षा भी ग्रहण करती थीं।

यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्त्रियों की भी सेना हो सकती है और उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके अलावा, यजुर्वेद में यह भी बताया गया है कि स्त्रियों को राजनीति और न्याय के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए। जिस प्रकार राजा जनता का न्याय करते थे, उसी प्रकार रानी भी न्याय करने वाली और शासन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली हो सकती थीं। इस प्रकार, वैदिक काल में महिलाएं न केवल शिक्षा प्राप्त करती थीं, बल्कि सैनिक, न्याय और राजनीति में भी सक्रिय और सक्षम थीं।

प्राचीन वैदिक समाज में महिलाएँ यज्ञोपवीत धारण करके वेदों का अध्ययन करती थीं और नियमित रूप से संध्या-वंदन करती थीं। उन्हें यज्ञ और प्रार्थनाओं के लिए जरूरी वैदिक मंत्र पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा, वे संगीत और नृत्य में भी पारंगत होती थीं।

कन्याओं के उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस संदर्भ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्। (अ. 11/6/1)

साथ ही गोभिल गृह्यसूत्र में लिखा है—

यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन् जपेत सीमोदद् गन्धर्वाय।

वैदिक समाज में शिक्षा का बहुत महत्व था। इसे मनुष्य का 'तीसरा नेत्र' कहा गया, क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन की गहराई और सृष्टि के रहस्यों को समझने में मदद करती थी। ऋग्वेद में भी विद्या को मनुष्य की श्रेष्ठता का मानदंड माना गया है।

उस समय महिलाएँ पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करती थीं और यज्ञ-कर्मकांडों में भाग ले सकती थीं। इसलिए उन्हें यज्ञाधिकारिणी कहा गया। बालकों के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। वनस्थ ऋषियों के गुरुकुल वेदों की ध्वनि से हमेशा गूँजते रहते थे, जिससे समाज समृद्ध और संतुलित दिखाई देता था।

इसके अतिरिक्त, वेदों में यह भी उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल की कन्याएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं और कई बार अविवाहित रहकर अपने पिता के घर में वृद्धावस्था तक रहती थीं। उनकी स्थिति विवाहित स्त्रियों से अलग होती थी, क्योंकि पाणिग्रहण के समय उन्हें पिता से पर्याप्त संपत्ति (वहतु) मिलती थी।

वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु और उनकी पत्नी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेद और उपवेद, साथ ही उनके अंग और उपांगों की शिक्षा द्वारा, शरीर, इन्द्रिय, मन और अन्त:करण की शुद्धि, शरीर की पुष्टता और प्राण की संतुष्टि प्रदान करें। इससे सभी कुमार और कुमारियाँ अच्छे गुणों में प्रवृत्त हों।

प्राचीन भारत में स्त्री का कार्य केवल परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका संबंध समाज से भी था। इसलिए स्त्री-शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। स्त्रियों को वेद पढ़ने और उपनयन संस्कार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था।

संस्कार प्रकाश में उल्लेख है कि वैदिक काल में पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, और इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने से पहले पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था। वे ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थीं और बुद्धि व ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होती थीं।

उस समय स्त्रियाँ दो प्रकार की थीं—

**( 1 ) ब्रह्मवादिनी** :- ये वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाली, ब्रह्मचर्य पालन करने वाली स्त्रियाँ थीं। पुरुषों की तरह ही ये नियमित रूप से वेद-ध्वनि से अध्ययन करती थीं और यज्ञोपवीत धारण करती थीं।

**( 2 ) सद्योद्वाहा** :- ये स्त्रियाँ विवाह के बाद पतिकुल जाकर गृहस्थ जीवन का संचालन करती थीं, लेकिन इनका विवाहपूर्व अध्ययन ब्रह्मचर्य के अनुसार आवश्यक

था।

वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। स्त्रियाँ पढ़ाई-लिखाई में पुरुषों से पीछे नहीं रहती थीं। इसके साथ ही उन्हें काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय जैसी ललित कलाओं में भी दक्षता प्राप्त थी।

वैदिक ग्रंथों में माता को परिवार का केन्द्र माना गया है और इसलिए उनका विशेष सम्मान और अभिनंदन किया गया है। जीवन में माता के महत्व को देखते हुए, वेद पुत्र को हमेशा माता के अनुकूल और स्नेही रहने का आदेश देते हैं। माता आदर और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें स्वर्ग से भी महान, पृथ्वी से बड़ी और परमात्मा की प्रतिनिधि माना गया है।

अथर्ववेद में उल्लेख है कि माता-पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्याबल का उपहार दें। अर्थात, कन्या को बाहरी वस्तुओं के बजाय आन्तरिक विद्या, चैतन्य स्वभाव और ज्ञान रूपी बल प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसी कन्या जो पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों को दिव्य दृष्टि से समझ सके और आकाश-भूमि से सुवर्ण आदि की प्राप्ति कर सके, वही सुयोग्य पति से विवाह करे।

इसी प्रकार, ऋग्वेद में भी माता-पिता को अपनी कन्या को बुद्धिमत्ता और विद्याबल का उपहार देने का निर्देश दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कन्याओं की श्रेष्ठता और समाज में स्थिति केवल विवाह या संपत्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें ज्ञान और आचार-शास्त्र के माध्यम से सशक्त बनाया जाता था।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्त्री-शिक्षा पर विशेष जोर दिया। वे प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्रवचनों में बताते हैं कि आर्य समाज में स्त्रियाँ अत्यंत सुशिक्षित थीं। उन्होंने पूना-प्रवचन में कहा- ''पूर्वकाल में आर्य लोगों में स्त्रियाँ उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं। आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो, स्त्रियाँ आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करती थीं। साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुगृह में वास आदि संस्कार होते थे। गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित स्त्रियाँ होकर ऋषि-मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं।''

वैदिक युग में स्त्रियाँ पुरुषों के समान वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थीं और याज्ञिक कर्मकांडों में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थीं। यद्यपि उस समय शिक्षा के लिए कोई विशेष संगठित प्रबंध नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई रोक या प्रतिबंध नहीं था।

वैदिक साहित्य में विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे शिक्षा किसी योग्य गुरु से प्राप्त करती थीं—चाहे वह उनके पिता, भाई, पति या

अन्य निकट संबंधी क्यों न हों। शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व, पुत्र की तरह पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था। इसके बाद वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विभिन्न विषयों का अध्ययन करती थीं।

अथर्ववेद में स्त्रियों की उच्च शिक्षा का उल्लेख मिलता है। उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों में से कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर आध्यात्मिक साधना में लगी रहती थीं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। दूसरी ओर, कुछ स्त्रियाँ गृहस्थ जीवन का संचालन करती थीं, लेकिन गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले वे ब्रह्मचारिणी बनकर अध्ययन कर चुकी होती थीं।

स्वामी दयानन्द अपने वेदभाष्य में इस विषय पर लिखते हैं कि:

* ''सब विद्वान् जन अपनी-अपनी विदुषी स्त्री के प्रति ऐसा उपदेश दें कि उन्हें सबकी कन्याओं को पढ़ाना चाहिए और सभी स्त्रियों को सुशिक्षित करना चाहिए।''
* ''अध्यापकजन पुत्रों को और अध्यापिकाएँ पुत्रियों को ब्रह्मचर्य-नियम में लगाकर उनके विद्या-जन्म को सम्पन्न करें, उन्हें जीवन के उपयुक्त उपाय सिखाकर समय पर उनके माता-पिता को सौंपें।''
* ''जो स्त्रियों के बीच विदुषी स्त्री हो, वह सभी स्त्रियों को सदा सुशिक्षित करे जिससे स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो।''
* ''जैसे प्रभात वेला जागते हुए मनुष्यों को सुख देती है, वैसे विदुषी स्त्रियाँ कुमारी विद्यार्थिनी कन्याओं की विद्या, सुशिक्षा और सौभाग्य को बढ़ाकर उन्हें आनन्दित करें।''
* ''जो स्त्रियाँ समस्त साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़कर पढ़ाती हैं, वे सभी मनुष्यों की उन्नति करती हैं।''
* ''जो विदुषी अध्यापिकाएँ भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभित, जल के तुल्य शांत और सहेली के तुल्य उपकारी हों, वे सभी कन्याओं को पढ़ाएँ और सभी स्त्रियों को उपदेश से आनन्दित करें।''

इस प्रकार, वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और महर्षि दयानन्द जी ने इसे समाज सुधार का अत्यधिक आवश्यक आधार माना। उनके अनुसार विदुषी स्त्रियाँ न केवल कन्याओं को शिक्षित करती थीं, बल्कि समाज की उन्नति और सुसंस्कार का भी मार्ग प्रशस्त करती थीं।

वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ही शिक्षक और अध्यापिका भी होती थीं। डॉ. देवेन्द्र गुप्ता के अनुसार, स्त्रियों ने समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाणिनि के ग्रंथों में उन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 'आचार्या' या 'उपाध्याया' कहा जाता था। पाणिनि ने यहाँ तक कहा कि स्त्रियों के लिए महिला-

विद्यालय (छात्रीशाला) भी होते थे।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में स्त्री-आचार्यों का उल्लेख मिलता है। शांखायन गृह्यसूत्र में गार्गी, वाचक्नवी और वडवा जैसी स्त्रियों को शिक्षिका बताया गया है। कात्यायन ने अपने 'वार्तिक' में उन्हें 'उपाध्यायी' कहा और बताया कि समाज में अध्यापिका स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी।

बौद्ध ग्रंथों में भी स्त्री-उपाध्यायिकाओं का उल्लेख है। उदाहरण के लिए 'अवदानशतक' में पद्मावती नामक उपाध्यायिका का नाम मिलता है। पतंजलि ने भी महिला अध्यापिकाओं का उल्लेख किया और बताया कि पुरुष छात्र भी इन अध्यापिकाओं से पढ़ते थे। उदाहरण के तौर पर, औदमेध्या आचार्या से पढ़ने वाले छात्र अपने आचार्या के नाम से औदमेध कहलाते थे।

अमरकोष में स्त्री शिक्षिकाओं के लिए शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है—उपाध्याया, उपाध्यायी और वैदिक मंत्रों की शिक्षिका के लिए आचार्या।

इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था। वे केवल पढ़ाई-लिखाई में पारंगत नहीं थीं, बल्कि विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ भी थीं और समाज में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था।

वैदिक समाज में स्त्रियों को वैदिक साहित्य और ज्ञान की शिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि वे धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में अपने पति के साथ सहभागी बन सकें। डॉ. देवेन्द्र गुप्ता के अनुसार, इस शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि स्त्रियों को बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना भी था।

उपनिषदों में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शन, तत्वज्ञान और तर्कशक्ति में प्रवीण थीं। उदाहरण के लिए, बृहदारण्यक उपनिषद में विदेहराज जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच वाद-विवाद का वर्णन मिलता है। गार्गी ने अपनी अद्भुत बुद्धि और सूक्ष्म तर्कशक्ति से याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान महापुरुष को भी चकित कर दिया।

याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी अत्यंत विदुषी और ब्रह्मवादिनी थीं। वे सांसारिक मोह-माया से दूर, आध्यात्मिक चिंतन और ब्रह्मज्ञान में लीन रहती थीं। साथ ही, उपनिषदों में यह भी उल्लेख है कि विदुषी कन्याओं को पुत्री के समान सम्मान दिया जाता था। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य पालन करती थीं और उन्हें उच्चतम बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था।

ऋग्वेद (6/61/1) में स्त्रियों का उल्लेख अनादिभूत वेदविद्या जानने वाली के रूप में किया गया है। वहीं, शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि केवल शिक्षित स्त्रियाँ और पुरुष ही विवाह के लिए योग्य माने जाते थे। इसका अर्थ यह है कि वैदिक समाज में

स्त्रियों की शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता था।

स्त्रियाँ ब्राह्मचर्य का पालन करते हुए न केवल विदुषी बनती थीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को सामाजिक और धार्मिक जीवन के अनुरूप ढालने का प्रयास भी करती थीं। एक सूक्त में उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य के माध्यम से योग्य और सक्षम पति प्राप्त करती है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि स्त्रियाँ अपने पति के साथ यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी होती थीं और वे वैदिक मंत्रों का अध्ययन भी करती थीं।

वैदिक शिक्षा के लिए बनाए गए संस्थानों को 'चरण' कहा जाता था। इन चरणों में स्त्री छात्राएँ भी स्थान पा सकती थीं। कठ-चरण में प्रवेश पाने वाली छात्राओं को कठी, पूज्यमान कठी, कठवृन्दारिका जैसी पदवियों से सम्मानित किया जाता था। प्रत्येक चरण का संगठन संघों के आदर्श पर आधारित होता था और हर संघ का अलग चिन्ह और पदवी होती थी।

चरण में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी और आचार्य दोनों को उच्च विद्वत्ता, तीव्र मेधा और तपस्या का पालन करना पड़ता था। किसी भी चरण में स्थान पाना आसान नहीं था। प्रत्येक आचार्य के ग्रंथ के अध्ययन के लिए विशेष चरण बनाए जाते थे। उदाहरण के तौर पर, शाकल आचार्य की शाकल-संहिता का अध्ययन करने वाले चरणों को शाकल या शाकलन कहा जाता था, जैसा पाणिनि ने उल्लेख किया है।

वेदों के अनुसार, अध्ययन और यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति ऋषि ऋण, यज्ञ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होता है। पंच महायज्ञों में से ब्रह्मयज्ञ यानी अध्ययन और अध्यापन गृहस्थ जीवन में संपन्न किया जाता था। पुत्रोत्पत्ति भी केवल गृहस्थ आश्रम में संभव थी, इसलिए इसे सर्वोच्च माना गया। जैसा कि माता-पिता अपने पुत्र का पालन-पोषण और शिक्षा का प्रबंध करते थे, उसी तरह पुत्रियों का पालन, शिक्षा और विवाह भी समाज और परिवार का कर्तव्य था। पुत्रियाँ भी पुत्रों की तरह शिक्षित होती थीं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था।

कुछ लोग यह कहते थे कि यदि स्त्रियाँ अध्यापन करेंगी तो घर का काम कैसे सम्भालेंगी। महर्षि दयानन्द के अनुसार, स्त्रियाँ आवश्यक होने पर परिचारिकाएँ रख सकती हैं। यजुर्वेद (11/56) में इसका उल्लेख है कि परिचारिकाएँ शिक्षित, निपुण और भोजन बनाने में दक्ष होनी चाहिए।

इस प्रकार, पुत्रियाँ शास्त्रीय शिक्षा, गृहविज्ञान और युद्धकौशल तीनों क्षेत्रों में प्रशिक्षित होती थीं। वैदिक समाज में उनका शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार पुरुषों के समान था।

प्राचीन भारत में स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र केवल परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। उनके लिए शिक्षा का पूरा प्रबंध था

और वे वेद पढ़ने, उपनयन संस्कार आदि से सुसंस्कृत होती थीं।

डॉ. रामनाथ वेदालंकार के अनुसार, वैदिक काल में क्षत्रिय स्त्रियों को धनुर्वेद, यानी युद्धकौशल की शिक्षा दी जाती थी। इसी विषय पर स्वामी दयानन्द लिखते हैं कि आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ युद्धविद्या जानती थीं, अन्यथा वे कैकेयी जैसी स्त्रियाँ दशरथ के साथ युद्ध में भाग कैसे ले सकती थीं।

वेदभाष्य में स्वामीजी कहते हैं कि रानी जो धनुर्वेद जानती है और शास्त्र चला सकती है, उसे वीरों का सत्कार करना चाहिए। राजा की अनुपस्थिति में रानी सेनापतित्व का कार्य संभाले और सेना को प्रेरित करे। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी युद्धविद्या सिखाने की प्रेरणा दी जाती थी। इसके अनुसार सभापति और अन्य गुरु स्त्रियों को भी युद्ध में प्रशिक्षित करें, ताकि वे आवश्यक परिस्थितियों में वीर पुरुषों की तरह युद्ध कर सकें। उदाहरण स्वरूप आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ धनुर्वेद जानती थीं, इसलिए वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकती थीं। भारतवर्ष की स्त्रियाँ, जैसे गार्गी, वेदादि शास्त्र पढ़कर पूर्ण विदुषी बनती थीं, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है।

इस प्रकार वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा संपूर्ण और व्यापक थी, जिसमें धार्मिक, बौद्धिक और युद्धकौशल तीनों क्षेत्रों का समावेश था।

वेदों में विवाह में योग्यता और गुण को प्रधानता दी गई थी। ऋग्वेद के अनुसार, पुत्री का योग्य और कुलीन वर के साथ विवाह करना पिता का परम कर्तव्य है। योग्य पुरुष की ओर से याचना करने वाले मध्यस्थ के प्रति पिता आभारी होता है।

महर्षि दयानन्द के अनुसार 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः' स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। प्रत्येक को यज्ञोपवीत धारण, योगाभ्यास और गायत्री मंत्र जाप का अधिकार भी है। यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्वान पुरुष और विदुषी स्त्रियाँ राजकुमारों और राजकन्याओं को भी योग्य बनाकर धर्मानुकूल शासन करवाते हैं।

स्त्रियों को कहा गया है कि वे याज्ञिक कार्यों में अपने विद्वान पतियों की सहायता करें, सोमादि औषधियों का सेवन और प्रबंधन करें, और अपने गुणों से ऐश्वर्य बढ़ाएँ। इस प्रकार, वैदिक समाज में स्त्रियों को पढ़ने-लिखने, विदुषी बनने और सामाजिक योगदान देने का पूर्ण अधिकार था।

## पाक विद्या

वेदों में स्त्रियों को पाक विद्या की शिक्षा भी दी जाती थी। वैदिक आदर्श के अनुसार, पाक विद्या का अभ्यास सद्गृहिणी और सन्माता बनने के लिए अनिवार्य था। यजुर्वेद (11/56, 11/57, 11/59, 14/1) में स्त्रियों के लिए पाक विद्या का विशेष विधान किया गया है। वेद में कहा गया है कि श्रेष्ठ स्त्रियों को चाहिए कि वे शिक्षित और

चतुर दासियों को रखें, ताकि घर का भोजन और अन्य कार्य समय पर और सही ढंग से संपन्न हो। यजुर्वेद में 'उखा' शब्द का अर्थ पकाने की बटलोई और 'स्वौपशा' का अर्थ स्वादिष्ट भोजन बनाने वाली के रूप में किया गया है।

इसका सार यह है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को पाक विद्या में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक माना जाता था, ताकि वे घर और परिवार का संतुलित और सुगठित संचालन कर सकें।

**वैद्यक शिक्षा**

वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। केवल धार्मिक और सामाजिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें वैद्यक विद्या, शिल्प, गणित और गृहविज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य था कि स्त्रियाँ न केवल अपने स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण की देखभाल कर सकें, बल्कि समाज में सम्मान और उचित योगदान भी दे सकें।

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद (12/92) के मंत्र की व्याख्या का उल्लेख किया है कि स्त्रियों को औषधि विद्या का अध्ययन करना अनिवार्य है। उनके अनुसार, इसके बिना पूर्ण सुख, रोगों की समाप्ति और इच्छित समृद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। मंत्र में 'उत्तमा' शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि श्रेष्ठ स्त्री, जो कल्याणकारी, योग्य और हृदय समर्थ हो, उसे इस विद्या का अध्ययन करना चाहिए। इस विद्या में निपुण स्त्री न केवल अपने लिए, बल्कि अन्य स्त्रियों के लिए भी शिक्षा का स्रोत बनती थी।

महर्षि दयानन्द ने वैदिक आदर्शों के आधार पर कहा कि स्त्रियों को व्याकरण, धर्म, गणित, शिल्प और वैद्यक विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। इनके बिना वे निम्नलिखित कर्तव्यों को उचित रूप से नहीं निभा सकतीं:

**सत्य और असत्य का निर्णय करना** :- बिना शास्त्र और ज्ञान के स्त्रियाँ धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर सकतीं।

**पति और परिवार के साथ उचित व्यवहार** :- ज्ञान और विवेक के अभाव में सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का सही प्रबंधन संभव नहीं।

**संतानों का पालन-पोषण और उनका विकास** :- संतानोत्पत्ति, पालन और शिक्षा के लिए स्त्री का ज्ञान आवश्यक था।

**घर का सुचारू संचालन** :- आहार, वस्त्र, आभूषण और भवन निर्माण का प्रबंधन, गणित और शिल्प के ज्ञान के बिना अधूरा रहता।

**सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन** :- वैदिक शास्त्रों और धर्मग्रंथों का ज्ञान न होने पर स्त्रियाँ समाज में सही योगदान नहीं दे सकतीं।

इस प्रकार, वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा बहुआयामी और सम्पूर्ण थी। यह शिक्षा उन्हें संपूर्ण गृहिणी, योग्य पत्नी, कुशल माता और समाज में सम्मानित नागरिक बनने में सक्षम बनाती थी। वैद्यक शिक्षा के माध्यम से स्त्रियाँ न केवल अपने परिवार की स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित करती थीं, बल्कि समाज और धर्म के पालन में भी योगदान देती थीं।

इससे स्पष्ट है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा, अधिकार और सम्मान पुरुषों के समान ही महत्व का था। स्त्रियों का यह बहुआयामी प्रशिक्षण उन्हें न केवल सुसंस्कृत और विदुषी बनाता था, बल्कि परिवार और समाज की संपूर्ण समृद्धि और स्थायित्व सुनिश्चित करता था।

यजुर्वेद (30/15) में उल्लेख है कि स्त्री को समय और काल की सूक्ष्म गणना का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात् वह ज्योतिर्विद् भी हो। ऋग्वेद (10/114/3) में स्त्रियों को 'चतुष्कपदा' कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार जीवनतत्वों को समझती हैं या यज्ञ की चार कोणीय वेदी और उसके मर्म को जानती हैं।

ऋग्वेद (10/146) में देवता अरण्यानी का उल्लेख है, जो संन्यासाश्रम प्राप्त करने वाली विदुषी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऋग्वेद (6/61/3 एवं 7/31/2) में स्त्रियों को भूगर्भादि विज्ञान का ज्ञान रखने वाली बताया गया है।

उच्च शिक्षा के महत्व का उदाहरण जनक की सभा में वाचवनवी गार्गी है। जब विद्वान पुरुष याज्ञवल्क्य के सामने परास्त होने लगे, तो गार्गी ने गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह दो प्रश्न पूछेगी, जिनका उत्तर याज्ञवल्क्य सही देगा, तभी कोई उसे मात दे सकेगा।

वैदिक समाज में धार्मिक शिक्षा सभी के लिए आवश्यक थी, क्योंकि विवाह और यज्ञादि कर्मों में पत्नी की सहभागिता अनिवार्य थी। यदि पुत्री की इच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की होती, तो माता-पिता इसे अपना कर्तव्य मानकर उसे अध्ययन के अवसर प्रदान करते थे।

ऋग्वेद में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंत्रद्रष्टा का सम्मान प्राप्त किया। इनमें प्रमुख हैं: विश्ववारा, आत्रेयी (ऋग्वेद म.5, सू.28), अपाला, आत्रेयी (ऋग्वेद म.8, सू.91), घोषा काक्षीवती (ऋग्वेद म.10, सू.85), इन्द्राणी (ऋग्वेद म.10, सू.145), शची पौलोमी (ऋग्वेद म.10, सू.159), जिन्होंने पूरे सूक्तों में ऋषित्व प्राप्त किया।

कुछ स्त्रियों ने संपूर्ण सूक्त नहीं, बल्कि केवल कुछ ऋचाओं में मन्त्रद्रष्टा का दर्जा प्राप्त किया। उदाहरण के लिए लोपामुद्रा (अगस्त्य की पत्नी), अगस्त्य की बहन,

लोमशा (भावयव्य की पत्नी)।

## सैन्य शिक्षा

ऋग्वेद और यजुर्वेद के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को सैन्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यदि कोई कन्या युद्ध-कौशल सीखना चाहती थी, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। आर्य स्त्रियाँ सेना में भर्ती होकर इतनी प्रवीण हो जाती थीं कि वे सेनापति का कार्य भी कर सकती थी। इनमें विश्पला और मुद्गलानी विशेष उल्लेखनीय हैं।

यजुर्वेद (16/24) के मंत्र ......नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृंहतीभ्यश्च वो नमः'' में स्त्रियों का सम्मान इस प्रकार किया गया है:

* **आव्याधिनीभ्यः** - शत्रुओं को परास्त करने वाली स्त्रियाँ,

* **विविध्यन्तीभ्यश्च** - शत्रुओं को बांधने वाली,

* **तृंहतीभ्यश्च** - युद्ध में मारने वाली,

**उगणभ्यः** - रणनीति और युद्धकला में निपुण।

यजुर्वेद (12/64) में स्त्री को 'घोरा' कहा गया है, अर्थात् वह दुष्टों को भयभीत करने वाली हो। ऋग्वेद (7/34/3) में स्त्रियों को वीर पुरुषों के समान उत्साही बनने की शिक्षा दी गई है। यह स्पष्ट करता है कि स्त्री केवल घर की बंदिनी नहीं थी, बल्कि उसे शिक्षा और युद्ध कौशल दोनों का अधिकार था।

यजुर्वेद (10/26-27) में वर्णित है कि राजपत्नी को न्यायविद्या और राजनीति का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि राजा की अनुपस्थिति में वह शासन-संबंधी कार्य संभाल सके और न्याय कर सके। स्त्रियाँ अपने पति के साथ युद्ध में जाती थीं, रथ का संचालन करती थीं और अस्त्र-शस्त्र का प्रबंधन करती थीं। उदाहरण स्वरूप:

* विश्चला पति के साथ युद्ध में लगी थी, जहाँ उसकी टाँग टूट गई थी, जिसे अश्विनी कुमारों ने ठीक किया।

* मुद्गल-पत्नी ने इन्द्रसेना के साथ मिलकर युद्ध में शत्रुओं को परास्त किया और अपहृत गौएँ छुड़ाई।

* नमुचि के पास स्त्रियों की पूरी सेना थी।

महर्षि दयानन्द ने स्पष्ट किया कि राजा की अनुपस्थिति में रानी सेनापति का कार्य सम्भाले और पुरुषों की तरह युद्ध कौशल में प्रशिक्षित हो। उन्हें युद्ध विद्या सिखाने की प्रेरणा देते हुए कहा गया: ''सभापति आदि को चाहिए कि जैसे पुरुषों को युद्धविद्या सिखाई जाती है, वैसे स्त्रियों को भी प्रशिक्षित करें। जैसे वीर पुरुष युद्ध करें, वैसे स्त्रियाँ भी करें।''

क्षत्रिय स्त्रियों के लिए धनुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य था। स्वामी दयानन्द ने

लिखा कि आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ युद्धविद्या जानती थीं, अन्यथा कैकेयी जैसे वीरांगनाएँ युद्ध में कैसे भाग ले पातीं। वेदभाष्य में यह भी उल्लेख है कि जो रानी धनुर्वेद जानने वाली और शास्त्राचरण में निपुण होती है, उसका सत्कार और सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए।

### गृहविज्ञान शिक्षा

ऋग्वेद में पत्नी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो तभी पूर्ण रूप से निभाए जा सकते हैं जब पुत्री विवाह से पूर्व गृहकार्य और आचार–व्यवहार में दक्ष हो। विवाह–सूक्त में वधू को 'साम्राज्ञी' यानी शासक या व्यवस्थित गृहिणी बनने का आशीर्वाद दिया गया है। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद वह अपने घर और परिवार का सुचारू संचालन कर सके।

उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों में से कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणी होती थीं, जो संपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक अध्ययन और साधना में लगी रहती थीं। इन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। अन्य स्त्रियाँ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं, लेकिन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व उन्होंने ब्रह्मचर्यकाल में अध्ययन और संस्कार पूरा कर लिया होता था।

इस प्रकार वैदिक समाज में गृहविज्ञान शिक्षा और उच्च अध्ययन का संतुलन स्त्रियों के लिए आवश्यक माना गया था, ताकि वे सम्पूर्ण गृहिणी और सुशिक्षित व्यक्तित्व बन सकें।

निष्कर्षत: वेदों में स्त्रियों को केवल गृहकार्य तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में शिक्षा और अधिकार प्रदान किए गए। माता को परम सम्मान देते हुए स्त्रियों को वेदाध्ययन, यज्ञोपवीत, योगाभ्यास और मन्त्रदृष्टा होने तक का अधिकार बताया गया। विवाह में योग्य वर का चयन, कन्या को विद्या और बुद्धिमत्ता का उपहार देना पिता का कर्तव्य माना गया।

स्त्रियाँ पाकविद्या, वैद्यक, ज्योतिष, भूगर्भ विज्ञान, शास्त्रज्ञान तथा गृहविज्ञान में दक्ष मानी जाती थीं। अनेक स्त्रियाँ ऋषि, दार्शनिक और ब्रह्मवादिनी बनीं। उन्हें सैन्य शिक्षा दी गई और वे युद्धभूमि में सेनापति तक बनीं। राजकन्याएँ राजनीति और न्यायशास्त्र का अध्ययन करती थीं। स्पष्ट है कि वैदिक परंपरा में स्त्री को पूजार्हा, सत्कारार्हा, शिक्षिता और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखा गया। वह केवल परिवार की केन्द्रबिन्दु ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी भी थी।

❑❑❑